

**न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बिजौलियों, जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)**

प्रकरण संख्या :-

तारीख दायर 28/09/23

- 1- सम्पति पुत्री भंवरलाल जाति हरिजन, उम्र वयस्क निवासी तिलस्वां तहसील बिजौलियों जिला भीलवाड़ा (राज0)

---प्रार्थीया

बनाम

- 1- राजुडी पत्नि गणेश जाति अहीर, उम्र वयस्क निवासी तिलस्वां तहसील बिजौलियों जिला भीलवाड़ा (राज0)  
2- किशोर पुत्र होकमा जाति बलाई उम्र वयस्क निवासी तिलस्वां तहसील बिजौलियों जिला भीलवाड़ा (राज0)  
3- चुन्नीलाल पुत्र होकमा जाति बलाई उम्र वयस्क निवासी तिलस्वां तहसील बिजौलियों जिला भीलवाड़ा (राज0)

---विपक्षीगण

प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 11-128 रा0ले0रे0 एक्ट

:--आदेश:-

दिनांक 7/10/23

प्रार्थनापत्र प्रार्थी श्री सम्पति ने जरिये अभिभाषक श्री दीपक मीणा प्रस्तुत कर निवेदन किया हैं कि मेरे एकल/संयुक्त खाते कि भुमि मौजा ग्राम तिलस्वां पटवार हल्का तिलस्वां, मु-अभिलेख निरिक्षक क्षेत्र कास्यां, तहसील बिजौलियों जिला भीलवाड़ा (राज0) मे खाता संख्या 380 पर आराजी संख्या 917/391 रकबा 0.4856 हैक्टेयर भुमि स्थित हैं। विपक्षीगण आये दिन सीमा विवाद को लेकर झगड़ा फसाद करते हैं। अतः पत्थरगढी का आदेश प्रदान कराया जावें साथ में प्रार्थनापत्र की ताईद में शपथपत्र संलग्न हैं।

प्रार्थना पत्र रजिस्टर करवाया गया। प्रस्तुत पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गयी और पत्रावली का अवलोकर किया गया।


पत्रावली में संलग्न जमाबंदी सम्वत 2075-2078 के अवलोकर से प्रार्थी वादग्रस्त आराजियात का खातेदार/गेर खातेदार काश्तकार हैं। पडोसियान के विवाद करने बाबत शपथपत्र संलग्न हैं। पत्थरगढी से किसी के स्वात्व पर कोई विपरीत प्रभाव नही पडता हैं।

अतः प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 11-128 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यु एक्ट स्वीकार किया मौजा ग्राम तिलस्वां पटवार हल्का तिलस्वां, मु-अभिलेख निरिक्षक क्षेत्र कास्यां, तहसील बिजौलियों जिला भीलवाड़ा (राज0) मे खाता संख्या 380 पर आराजी संख्या 917/391 रकबा 0.4856 हैक्टेयर भुमि की बाशामालात पडोसियान के पत्थरगढी करने हेतु आदेशित किया जाता हैं एवं पत्थरगढी शुल्क राशि 100/- रुपये राजकोष में जमा होने पर पलनार्थ तहसीलदार बिजौलियों को लिखा जावे।

प्रार्थनापत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हों।

आदेश सुनाया गया।



  
उपखण्ड अधिकारी  
बिजौलियों जिला-भीलवाड़ा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज०)

प्रकरण संख्या :- 70/23

तारीख दायर 28/04/23

प्रेषिति :-

क - 7/6/23

तहसीलदार  
बिजौलियाँ

विषय :- प्रकरण संख्या ..... 70/23 ..... पत्थरगढी बाबत।

1- सम्पति पुत्री भंवरलाल जाति हरिजन, उम्र वयस्क निवासी तिलस्वां तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज०)

—प्रार्थीया

बनाम

- 1- राजुडी पत्नि गणेश जाति अहीर, उम्र वयस्क निवासी तिलस्वां तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज०)
- 2- किशोर पुत्र होकमा जाति बलाई उम्र वयस्क निवासी तिलस्वां तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज०)
- 3- चुन्नीलाल पुत्र होकमा जाति बलाई उम्र वयस्क निवासी तिलस्वां तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज०)

—विपक्षीगण

उपर्युक्त विषयान्तत अनवानी प्रकरण में आदेश होकर लेख है कि मौजा ग्राम तिलस्वां पटवार हल्का तिलस्वां, भु-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र कास्यां, तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज०) मे खाता संख्या 380 पर आराजी संख्या 917/391 रकबा 0.4856 हैक्टेयर भुमि की बशमलात पड़ोसीयान के पत्थरगढी कब्जा जावें। मौके पर पत्थरगढी के दौरान कब्जा किसी अन्य का पाया जावे तो जारिये पत्थरगढी कब्जा नही हटाय जावे तथा समक्ष न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने हेतु सूचित करें। आदेश पत्थरगढी हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक कास्यां को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस 500 तय कि जाती है वक्त मोके पर प्रार्थी अदा करेगा। पत्थरगढी करने से पुर्व पड़ोसी एवं विपक्षीगणो को सुचित करते हुए पत्थरगढी करें।

पत्थरगढी कर पालना रिपोर्ट 20 दिन मे आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें।



उपखण्ड अधिकारी  
उप बिजौलियाँ अधिकारी  
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा